



पंजीयन क्र. DRB/281/25-3-82

क्रमांक : 21A/22

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भोपाल

कार्यालय : 12, मालवीय नगर, सेन्ट्रल मार्केट,
द्वितीय तल, भोपाल (म.प्र.) - 462 003
फोन : 0755-2675563

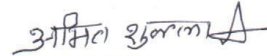
दिनांक 6/5/22

संस्था संचालक मंडल की बैठक की सूचना

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 21/05/2022 को समय प्रातः 1 बजे सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था कार्यालय 12 मालवीय नगर सेन्ट्रल मार्केट भोपाल में आयोजित की गई है। कृपया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

एजेन्डा

- (1) आवास संघ के साथ किए जा रहे निरंतर पत्राचारों पर विचार विमर्श।
- (2) डी-सेक्टर की भूमि के समीकन पर की गई कार्यवाही पर विचार विमर्श।
- (3) सर्वधर्म ई-सेक्टर के सदस्यों का प्लेट आवंटन करने के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त करने बावत्।
- (4) सर्वधर्म ई-सेक्टर के प्लेटों की राशि सदस्यों से वसुली पर विचार विमर्श।
- (5) सर्वधर्म ई-सेक्टर के जो सदस्य प्लेट नहीं लेना चाह रहे हैं उनकी सदस्यता समाप्त करने बावत्।
- (6) अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति अनुसार।

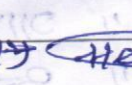
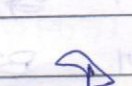
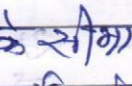
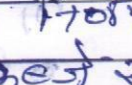

अध्यक्ष

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी
समिति मर्या भोपाल

प्रति,

श्रीमान / श्रीमति

आज दिनांक 21/5/2022 को सर्वधर्म मंदिर निर्माण सहकारी समिति मंत्री, कोषाल को बैठक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं संयोजक की उपस्थिति में सर्वधर्म कार्यालय सेंटर मार्केट में दोपहर 1 बजे आयोजित की गई इस बैठक में निम्न विषयों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया।

- | | | |
|-----------------|-------------------------|---|
| 1) अध्यक्ष :- | श्री अमित शुक्ला |  |
| 2) उपाध्यक्ष :- | श्री गणेश प्रसाद शर्मा |  |
| 3) - | श्री अरुण के शुक्ला |  |
| 4) संयोजक | श्री दिनेश चौरसिया |  |
| 5) - | श्री अरुण के चव्वा |  |
| 6) - | श्री सतीश चौरसिया |  |
| 7) - | श्री धीरेज शर्मा |  |
| 8) - | श्रीमती हेमलता उपाध्याय |  |
| 9) - | श्री सीमा सोनी |  |
| 10) - | श्रीमती चन्द्रा जैन |  |

प्रस्ताव:- सर्वधर्म "डी" सेक्टर की भूमि के सीमांकन प्रस्ताव 2017 न्यायालय से प्राप्त निर्णय आदेश प्रस्ताव के उपरान्त भूमि के कब्जे एवं उसके संरक्षण के संबंध में विचार।

श्री गणेश प्रसाद शर्मा एवं श्री दिनेश चौरसिया द्वारा अज्ञात कसबा जमा कि सभी सदस्य एकजुट होकर सर्वधर्म की रिक्त भूमि पर तार फैलाकर उस भूमि की देख रेख हो सकें सर्वोत्तम फैसला हो सके।

दिनांक 11/5/22 को स्थानीय तहसीलदार

उक्त प्रस्ताव पर मिम्री चन्द्रा जेठ द्वारा
~~उक्त~~ प्रस्ताव रखा गया कि दो बार नोटिस
 15-15 दिवस के अंतराल में ^{सदस्यों को} पोषित
 किया जावे, तथा अन्तिम सूचा दैनिक
 समाचार में सदस्यता समाप्ति की सूचा
 प्रकाशित कर अन्तिम अवसर दिया
 जावे, तथा इसके पश्चात् भी राशि
 जमा नहीं करने पर सदस्यों की सदस्यता
 समाप्त करने संबंधी कार्यवाही की जावे

प्रस्ताव:- संस्था का ऑडिट करने के संबंध में
 फैसला: - श्री आर. के चव्वाली संचालक द्वारा अंगव
 कराया गया कि 2017-18 तक का ऑडिट
 हो चुका है तथा वर्ष 2018-19, 2019-20
 , 2019-20, तथा 2020-21 का ऑडिट
 सहकारिता विभाग के ऑडिटर्स द्वारा
 उक्त सभी वर्षों का आय-व्यय पत्रक
 चैक कर लिया गया है, उस पर हस्ताक्षर
 होना शेष है एवं वर्ष 2021-22 का
 ऑडिट रिपोर्ट संस्था द्वारा तैयार
 कर ली गई है इस पर सभी सदस्यों
 द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई।

अन्य कोई विषय चर्चा में नहीं आया प्रत्येक
 समाप्ति की घोषणा की गई।

20/01/2022

अध्यक्ष

सचिव

उपसचिव

कर E.P.C.O को पत्र क्र. अ.संघ/तक/2022
 दिनांक 06.05.2022 द्वारा निर्देशित किया है कि उक्त
 प्रकार में आगामी 15 दिवस में जांच कर अपनी
 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस संबंध में आगामी
 जानकारी दिया है। ऐसी दशा में निर्दिष्ट निभाग
 कि आवास संघ द्वारा इस संबंध में की जा रही
 कार्यवाही के संबंध में उपायुक्त सहकारिता एवं
 प्रोपल कलेक्टर मधुपुर को अवगत कराया गया
 जा रहे।

प्रस्ताव:- सर्वधर्म के सेक्टर के सदस्यों से भवन
 (प्रकोष्ठ) की राशि जमा नहीं करने के
 संबंध में विचार

टिप्पणी:- श्री दिनेश चौरासिमा द्वारा यह प्रस्ताव दि
 गया कि संस्था के ई सेक्टर के कई सदस्य
 द्वारा कई बार सूचना देने के पश्चात भी
 ना तो संस्था में सम्पर्क किया ना ही
 प्रकोष्ठ हेतु राशि जमा की गई है।
 उन सदस्यों को अंतिम नोटिस देकर
 दिया जावे, तथा इसके पश्चात भी यदि
 सदस्य द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है
 तो उनकी संस्था में जमा राशि नि
 बन्धन सहित लेवा कर उसकी सदस्यता
 समाप्त कर, सीमान जिलाध्यक्ष एवं संस्था
 से अनुमति प्राप्त कर नये सदस्य
 को प्रकोष्ठ विक्रय कर राशि मुक्ति
 जिससे आवास संघ की मंजूर अडुआर
 प्रकोष्ठ निर्माण की राशि का समग्र पर

बहुत कम है। इस संबंध में संस्था ने आवास
 संघ में अपनी आपत्ति प्रस्ताव की गई। इस
 पर आवास संघ के प्रबंध संयोजक द्वारा एक
 समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें
 सर्व समिति से नई प्रस्तावित भवन की नई
 ड्राइंग अनुसार कार्य शुरू होना तथा कि
 संस्था आवास संघ को एक करोड़ रुपये का
 भुगतान करेगी एवं निर्माण कार्य वीज गरी
 से प्रारंभ किया जाएगा। संस्था द्वारा
 दिनांक 27/12/2021 को एक करोड़ रुपये का
 भुगतान कर दिया गया तथा बैंक से चेक
 द्वारा 10-12 कालम की कार्यवाही करने के
 बाद कार्य पुनः बंद कर दिया गया। एक
 आवास संघ द्वारा पुनः एक करोड़
 कालीन लाख रुपये की मांग की जाने लगी।
 तथा दिनांक 12/4/2022 को प्रबंध संयोजक
 आवास संघ द्वारा एक बैठक आयोजित
 की जिसमें संस्था द्वारा बताया गया कि
 ब्लॉक की बिल्डिंग प्रस्तावित
 मानचित्र अनुसार नहीं बनाने गये हैं। भवन
 की दिशा में परिवर्तन हो गया है। इसके
 कारण संस्था को आवंटित प्लॉट एवं नगर
 निगम में कंधक रखे गये प्लॉटों के
 नम्बरों की विलोपन प्रभावित होगी। संस्था
 की इस आपत्ति पर आवास संघ द्वारा

प्रस्ताव:- संस्था की खजुरीकनों की भूमिके संबंध में विचार विमर्श

148/8
टैशव:- संस्था की खजुरीकनों में लिखत 1485 वर्ग फिट भूमि के संबंध में श्री जाम्नी प्रसाद शर्मा अवगत कराया कि भूमि पर तार टेंसिंग करा दी गई एवं संस्था का कोई बगाना नहीं तथा ज्ञात हुआ है कि श्रीमती सुनिधि मिश्रा द्वारा संस्था के स्वामित्व की भूमि 1485 वर्ग फिट पर 3 की भूमि पर के अंश भाग पर आर.आई परिवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीयों द्वारा मिलीभगत कर कब्जा कर लिया/दरमिा गया है इस संबंध में संस्था की ओर से उक्त भूमिको श्रीमती सुनिधि मिश्रा पत्नी श्री रविन्द्र कुमार मिश्र निवासी मन. 332/2बी साकेत नगर संमुख करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से सक्षम कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है

प्रस्ताव:- संस्था के ई सेक्टर पर भूमि पर संकलित षड्भूजिना भवन निर्माण की कार्य प्रगति के संबंध में)

वर्तमान में भवनों का निर्माणधिन कार्य बंद है इस संबंध में संस्था उपाध्यक्ष श्री शर्मा जी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में संस्था द्वारा आवास संघ से निर्माणधिन भवन का मानचित्र को मांग को जाती रही है किन्तु मानचित्र उपलब्ध नहीं होने एवं संपन्न छड्ड निर्माण होने पर देखा गया कि निर्मित संपन्न छड्ड का क्षेत्र फल तम (निर्धारित) क्षेत्र फल 635 वर्ग फीट से

कर्मचारियों/अधिकारियों की मौके पर उपस्थित होकर पूर्व सीमांकन के आधार पर सर्वेक्षण की भूमि का कब्जा सौंपा गया है। भूमि के संक्षेप एवं तहसील में स्थिति का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उक्त तहसील में स्थिति की गई भूमि पर सर्वेक्षण का कौड लगाया जावे।

संस्था के डी सेक्टर की कब्जे में सौंपी गई भूमि की देखरेख, तहसील में सर्वेक्षण कौड लगादि का कार्य संस्था के निम्न संचालक गण देखेंगे।

(1) श्री दिनेश चौरासिया

(2) " गाम्भीर उसाद शर्मा

(3) " आर. के. शुक्ला

(4) " आर. के. चतुर्वेदी

(5) " अमित शुक्ला

परामर्श:- सर्वधर्म डी सेक्टर की भूमि के संबंध में धारा 250 की कार्यवाही पर दिनेश चौरासिया (संस्था के आवेदन निरस्त) के संबंध में आगामी कार्यवाही के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि तहसील कार्यालय कोणार के द्वारा धारा 250 के संबंध में संस्था के आवेदन निरस्त कर निर्देशित किया गया है कि उच्च सक्षम न्यायालय में इस संबंध में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जायें।